सं. 83] नई दिल्ली, सोमवार, मई 22, 2006/ज्येष्ठ 1, 1928
No. 83] NEW DELHI, MONDAY, MAY 22, 2006/JYAISTHA 1, 1928

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 18 मई, 2006

सं. टीएएमपी/22/2004-एमओपीटी.–महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा, दिनांक 30 सितम्बर, 2004 के आदेश द्वारा अनुमोदित साऊथ वेस्ट पोर्ट लिमिटेड के वर्तमान दरमान की वैधता को संलग्न आदेशानुसार, विस्तारित करता है।

अनुसूची

प्रकरण सं. टीएएमपी/22/2004-एमओपीटी

साऊथ वेस्ट पोर्ट लिमिटेड — **आवेदक**

आदेश

(मई, 2006 के 11वें दिन पारित)

यह प्रकरण, मामला सं. टीएएमपी/22/2004-एमओपीटी में पारित दिनांक 30 सितंबर, 2004 के आदेश द्वारा निर्धारित साऊथ वेस्ट पोर्ट लिमिटेड (एसडब्ल्यूपीएल) के वर्तमान दरमान की वैधता के विस्तार से संबन्धित है।

2. इस प्राधिकरण ने एसडब्ल्यूपीएल के दरमान का निर्धारण करते हुए दिनांक 30 सितम्बर, 2004 को एक आदेश पारित किया था।यह आदेश दिनांक 13 अक्तूबर, 2004 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। (उक्त आदेशानुसार एसडब्ल्यूपीएल के दरमान 28 मई, 2004 को पूर्वव्यापी प्रभावी से लागू हुआ था। (उस समय) प्रचलित प्रशुल्क मार्गदर्शियों की शर्तो के अनुरूप इस प्राधिकरण द्वारा उक्त आदेश की वैधता अवधि कार्यान्वयन तिथि से लेकर 2 साल निर्धारित की गयी थी। तदनुसार एसडब्ल्यूपीएल के दरमान की वैधता, जो 28 मई, 2004 से लागू हुई, वह दिनांक 27 मई, 2006 को समाप्त हो जायेगी।

3. एसडब्ल्यूपीएल ने अपने दरमान के सामान्य संशोधन हेतु इस प्राधिकरण के समक्ष अपना प्रस्ताव दाखिल किया है जिसे परामर्श के लिए लिया गया है। प्रस्तावित विषय में अंतिम निर्णय लेने के पहले आंतरिक समीक्षा तथा एसडब्ल्यूपीएल और एमओपीटी से अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए कुछ अधिक समय अपेक्षित है। इस मामले में लंबित आगामी कार्रवाई के मद्देनजर एसडब्ल्यूपीएल द्वारा दाखिल प्रस्ताव के निपटान के लिए समय लगेगा। अत: एसडब्ल्यूपीएल के दरमान की वैधता का 27 मई, 2006 से आगे विस्तार किया जाना है।

4. परिणामस्वरूप, समस्त विचारविमर्श के आधार पर, यह प्राधिकरण एसडब्ल्यूपीएल के वर्तमान दरमान की वैधता को 28 मई, 2006 से आगे छ: माह की अवधि अथवा अपने दरमान के सामान्य संशोधन हेतु एसडब्ल्यूपीएल द्वारा दाखिल प्रस्ताव पर, इस प्राधिकरण द्वारा पारित होने वाले आदेश के कार्यान्वयन की प्रभावी तिथि तक इनमें से जो भी पहले हो, विस्तारित करता है।

अ. ल. बोंगिरवार, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/IV/143/2005असा.]